

## भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER सीप्ज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.



टेली / Tel: 022-28294772

ई-मेल /E-mail: dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site: www.seepz.gov.in

## कार्यालय आदेश सं. ७७७ / 2023

विषय:- वितीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

दिनांक 27.09.2022 के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक 10/2022 में आंशिक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

क्रमांक	विवरण	निम्नलिखित को शक्ति सौंपी गईं
1.	रु.10,000/- से कम	"विकास आयुक्त/अध्यक्ष से सैद्धांतिक मंजूरी के बाद" सहायक विकास आयुक्त को अग्रदाय खाते से व्यय करने को सीमित कर दिया।
2.	रु.10,000 /- से अधिक लेकिन रु.2,00,000/- से कम	उप विकास आयुक्त, को "विकास आयुक्त/अध्यक्ष से सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद"
3.	रु.5,00,000/- से कम	संयुक्त विकास आयुक्त, "डीसी/अध्यक्ष से सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद"

- 2. प्रत्यायोजित अधिकारी वित्तीय औचित्य के सभी सिद्धांतों का पालन करेंगे और प्रासंगिक प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित सारांश में एक मासिक रिपोर्ट लेखा अनुभाग द्वारा विकास आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी।
- 3. यह विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सी.पी.एस.चौहान) ७.७व.५

संयुक्त विकास आयुक्त सीप्ज़-सेज़, मुंबई

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMN/273/08-09/VOL-I/\25\0

दिनांक: 15 .09.2023

- प्रति:
- 1. सभी अधिकारी अधिकारी एवं कर्मचारी
- 2. कार्यालय आदेश फ़ाइल
- 3. कार्यालय आदेश रजिस्टर
- 4. विकास आयुक्त कार्यालय/संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय/उप विकास आयुक्त कार्यालय



## भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER सीप्ज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.



टेली / Tel: 022-28294772

ई-मेल /E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in

## OFFICE ORDER NO. 372/ 2023

Subject:- Delegation of Financial Powers.

In partial modification of earlier Office Order No. 10/2022 dated 27.09.2022, the following powers have been delegated, with immediate effect and until further orders:-

Sr. No.	Particulars	Power delegated to
1.	Less than Rs. 10,000	Assistant Development Commissioner limited to expenditure from Imprest Account, "after in principle approval from DC / Chairperson"
2.	Rs. 10,000 to less than Rs. 2,00,000	Deputy Development Commissioner, 'after in principle approval from DC / Chairperson"
3.	Less than Rs. 5,00,000	Joint Development Commissioner, "after in principle approval from DC / Chairperson"

- 2. The delegated officers will observe all canons of financial propriety and follow the relevant procedures. A monthly report summarizing exercise of such delegated powers will be submitted to the Development Commissioner by the Accounts section.
- 3. This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

(C P S Chauhan)

Joint Development Commissioner, SEEPZ-SEZ

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMN/273/08-09/VOL-I/12510

Date: 09.2023

- 1. All Concerned Officers and Officials
- 2. Office Order File
- 3. Office Order Register
- 4. DCO/JDCO/DDCO